कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ई.सी.आई./अनु./प्रकार्या./ई.ई.एम./ई.ई.पी.एस./2017/खंड VII   दिनांक: 31 जनवरी, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. गोवा
2. मणिपुर
3. पंजाब
4. उत्तराखण्ड
5. उत्तर प्रदेश

विषय: गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैंकों से नकदी निकासी की सीमा-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु अलग से बैंक एकाउंट खोलने के संबंध में आयोग के दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 के पत्र संख्या 76/अनुदेश/2013/ई.ई.पी.एस./खंड IV को संदर्भित करने तथा चालू खातों हेतु नकदी निकासी की सीमा हटाने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 30.01.2017 की अधिसूचना संख्या आर.बी.आई./2016-17/217 को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दें कि उन अभ्यर्थियों, जिनके चालू खाते अभी नहीं खोले गए हैं और बचत खाते खोले हैं, के लिए चालू खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान करवाने में मदद करें और ऐसे खातों को चालू खातों में परिवर्तित करवाएं ताकि वे आयोग के निदेशानुसार निर्वाचन संबंधी व्यय को उपगत करने के लिए निकासी कर पाएं।

आपसे अनुरोध है कि आप इसे तत्काल सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों और संबंधित बैंक पदाधिकारियों के ध्यान में लाएं।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(विक्रम बत्रा)
निदेशक (निर्वाचन व्यय)